

77
25-06-2020

डा. दुष्यंत पारीड
25/6/2020

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
दिनांक 24/6/2020
195

प्राचार्य
समस्त राजकीय/निजी विधि महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय - सेमेस्टर प्रणाली में अगले सेमेस्टर में कमौन्नत करने बाबत।
सन्दर्भ - भारतीय विधि परिषद के पत्रांक BCI.D.1401/2020 दिनांक 27.05.2020

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोविड-19 के मध्यमजर सन्दर्भित पत्र के अनुसार विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर को छोड़ते हुए अगली कक्षा में कमौन्नत करने का निर्णय लिया गया है।

अतः सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति सलमन कर समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि BCI के द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश कार्य निष्पादित करना सुनिश्चित करें।

सलमन उपरोक्तानुसार

भवदीय

4
(प्रदीप कुमार बोरड IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि -

1. विशिष्ट सहायक माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आरसन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुण-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर को सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर लेख है कि BCI के निर्देशानुसार सम्बद्ध विश्वविद्यालयों को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
5. वेबसाइट प्रमोरी, आयुक्तालय को अपलोड/ई-मेल करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

24/6/2020
(डा. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)